



ANNUAL REPORT YEAR 2024-25

**LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
DARRAPARA, GARIYABAND (C.G.)**

Email:lok.astha@gmail.com

Contents

संस्था का संक्षिप्त परिचय :-	2
जनजाति की जानकारी -	4
महिला सशक्तिकरण पर गतिविधिया.....	5
महिला और जमीन से रिश्ता पर महिलाओं की क्षमतावर्धन कार्य.....	5
स्थानीय समितियों को संवेदनशील बनाने का कार्य.....	6
विधिक शिविर.....	6
PVTG महिलाओं की सोंच में बदलाव हेतु एक्स्पोजर विजिट.....	7
घरेलु महिला हिंसा में कमी लाने कार्य :-	7
जिला स्तरीय महिला मंच सम्मेलन :-	8
महिलाओं को अपनी आवाज को रखने हेतु मंच प्रदान करवाना.....	8
महिलाओं की नेत्रित्व क्षमता विकास प्रशिक्षण -	9
राष्ट्रीय महिला किसान दिवस.....	9
स्कूल /कालेज में सेसन के माध्यम से यूथ का समझ विकसित करना -	10
जलवायु न्याय की दृष्टिकोण से कार्य.....	10
महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु जोड़ना:-	10
NRLM के साथ आजीविका विकल्प पर नेटवर्किंग मीटिंग-	11
जैविक खेती के लिए महिलाओं का समझ विकसित करना.....	11
खेल के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को गतिविधि में जोड़ना -	12
PVTG समुदाय में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देना.....	13
PVTG समुदाय के यूथ को टेक्नोलाजी व पपेरलेस सर्वे कार्य.....	13
बच्चों के मुद्दे पर कार्य.....	13
कार्यकर्ता क्षमता विकास प्रशिक्षण.....	15
नेटवर्किंग मीटिंग.....	15
अन्य संस्थायो के साथ नेटवर्किंग मीटिंग -	15
विभागीय इंटरफेस मीटिंग -	15
विभिन्न सरकारी विकास योजनायो से लाभान्वित करने हेतु सहयोग करना.....	16
जिला स्तर पर बने विभिन्न कमेटियों में लोक आस्था सेवा संस्थान के साथियों को शामिल किया गया है.....	16
FINANCIAL STATEMENT	17

संस्था का संक्षिप्त परिचय :-

इस संस्था का निर्माण स्थानीय युवा साथियों द्वारा जो सामाजिक विचारधारा से जुड़े उन साथियों द्वारा लोक आस्था सेवा संस्थान का सन 2005 में निर्माण किया गया। जिसका रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर 2006 को छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 (सन 1973 का क्र. 44) के अधिन पंजीकृत स्वेच्छिक संगठन है। यह संस्था एक गैर लाभकारी, गैर राजनीति, व गैर धार्मिक प्रकृति की संस्था है। जो समाज में बदलाव लाने की दिशा में अपने स्वप्न व उद्देश्य के साथ इस वर्ष महिला सशक्तिकरण व बालकल्याण के मुद्दे के अंतर्गत - बच्चों के सभी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय की समझ विकसित करना वी प्रेरित करना, महिलाओं की प्रत्येक कार्य में निर्णय भूमिका में लाने हेतु समझ विकसित करना, पंचायतराज सशक्तिकरण -ग्रामसभा को सशक्त बनाने के लिए समझ विकसित करना, भोजन पर अधिकार, शिक्षा व स्वास्थ्य के अधिकार पर जागरूकता के अंतर्गत - शिक्षा के अधिकार कानून की क्रियान्वयन की मजबूतीकरण के समुदाय की भागीदारी व विभाग के साथ संवाद तथा समाज में व्याप्त कुर्रतियों को दूर करते हुए जेंडर समानता की दिशा में कार्य करना, महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, रोजगार गारंटी अधिनियम पर जागरूकता, व अन्य शासकीय योजनाओं के बारे में जागरूकता करना व अन्य सामाजिक मुद्दे को लेकर कार्य कर रहे हैं।

स्वप्न :-

एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो शोसन मुक्त, समता मूलक, सामाजिक न्याय आधारित हो जिसमें जाति, रंग, भाषा, संस्कृति व लिंग भेद आधारित ना हो, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से समान अधिकार व सम्मान पूर्वक जीवन बसर कर सके तथा प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा हो।

उद्देश्य :-

1. समाज के कमजोर वंचित व पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में बदलाव लाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, कृषि, रोजगार व आय उपार्जन के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
2. सर्वांगीन महिला विकास व बाल कल्याण के जनशिक्षा
3. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन हेतु लोगों को जागरूक करना।
4. राष्ट्रीय सामाजिक विकास योजनाओं एवं जनकल्याण कार्यक्रमों को लोगों के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करना।
5. आंचलिक संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्यमता विकास से स्वावलंबन की खोज एवं प्रशिक्षण

लोक आस्था सेवा संस्थान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छ. ग. राज्य है जो निम्नांकित क्षेत्र में कार्यरत है, आदिम जनजाति, आदिवासी, दलित व अंतिम पिछड़े वर्ग के साथ कार्य कर रही है। संस्थान वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद, धमतरी व महासमुंद जिला में कार्यरत है।

लोक आस्था सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से महिलाओं एवं बच्चों के मुद्दे पर कार्य करती आ रही है। समय के आधार पर मुद्दे भी बदलते गए हैं। शुरुवात में आदिवासी क्षेत्र होने के कारण महिलाओं में जो डर भर व्याप्त है उसे दूर करने के लिए घर से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, छोटे छोटे सरकारी विकास योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित कराया गया। घर में हो रहे हिंसा को कमी लाने के लिए महिलाओं के माध्यम से तथा विभागीय समन्वय से महिलाओं में लीडर निकाला गया विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, विभाग के अधिकारियों को गाँव तक पहुँच बनाया गया, विभाग के साथ मिलकर पोस्टर भी बनाया गया जिससे समाज में जागरूकता बढ़ सके। फिर जमीन का रिश्ता महिलाओं से वर्षों से है तो कानूनी जानकारी के साथ उन्हें जमीन में स्वामित्व को जोड़ने प्रेरित किया जा रहा है, जिससे समाज में जो असामनता है उसे दूर किया जा सके तथा परिवार व समाज को हिंसा मुक्त किया जा सके, क्योंकि इस पितृसत्तात्मक समाज में सोच व व्यवहार में बदलाव भी महत्वपूर्ण है जितना संपत्ति पर स्वामित्व। समाज में सोच व व्यवहार परिवर्तन को लेकर जिससे महिलाओं को आगे लाने में, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा किशोरी एवं बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को प्राकृतिक खेती को अग्रसर किया जा रहा है तथा साथ में किशोरियों को भी जोड़कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जा रही। आज सभी जगहों पर महिलाओं एवं किशोरियों में कई प्रकार के हिंसा हो रहे हैं, इस रोकने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। बच्चों के मुद्दे भी बहुत संवेदनशील हैं संस्थान बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। सभी एजेंसी, स्टाफ व हमारे प्रबंधकारिणी सदस्यों को धन्यवाद करती हूँ जो कि समाज परिवर्तन में तथा संस्था के उद्देश्यों पर कार्य करने हेतु सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

मुख्यकार्यकारी

लता नेताम

लोक आस्था सेवा संस्थान

वर्ष 2024-25 में संस्था द्वारा किये गए गतिविधि एवं उपलब्धियां

जनजाति की जानकारी -

लोक आस्था सेवा संस्थान विशेष समुदाय भुंजिया जनजाति के साथ भी कार्य कर रही है , इस जनजाति की अलग

संस्कृति, रीतिरिवाज ,
परम्पराए है । इस
समाज की बच्चों की
जन्म ले लेकर विवाह

और मृत्यु तक अलग
तरह से रिवाजे होती है
। कम उम्र में ही बच्चों
का तीर -कमान के
साथ कांडा विवाह कर
दिया जाता है तभी मुख्य



विवाह होती है , विवाह के बाद बाह्य खाद्य पदार्थ को खाने से वर्जित हो जाती है । महिलाये बाहर भी ज्यादा नहीं जाते है । इस जनजाति का रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है , यहाँ पर अन्य समुदाय के लोगो को जाना वर्जित है यदि कोई धोखे से चले भी जाये तो उन्हें जलाकर दुसरे लाल बंगला का निर्माण करते है । इस जनजाति की कहानी बहुत ही रोचक भी है ,लेकिन इसके साथ ही विकास योजनायो से वंचित भी है । PVTG (Primitive volenerable Tribe Group) के अंतर्गत गरियाबंद जिला में कमार एवं भुंजिया जनजाति समुदाय के लोग निवासरत है । यदि भुंजिया जनजाति की बात करे तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसँख्या 10603 है जो कि गरियाबंद जिले में 6973 लोग निवासरत है उसमे से महिला की जनसंख्या 3554 है उनकी परिवार संख्या गरियाबंद जिला में 1559 है । सबसे ज्यादा गरियाबंद ब्लाक में भुंजिया जनजाति निवासरत है । इस समुदाय में महिलायों एवं किशोरियों के लिए कई सारे परम्पराए है , रीतिरिवाज है जिससे महिलायों एवं किशोरियों के लिए बहुत सारे बंधने है । इस बन्धनों के कारण अन्य महिलायों एवं किशोरियों की तरह खान-पान, पहनावा, रहन- सहन नहीं कर पाते है । ऐसे महिलायों को आगे लाने , समाज में महिलायों की भूमिका , भागीदारी में बढ़ोतरी किया जा रहा है ।

महिला सशक्तिकरण पर गतिविधिया

लोक आस्था सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से महिलाओं के मुद्दे पर कार्य करती आ रही है ।

- महिलाओं पर हो रहे हिंसा में कमी लाना
- समाज में समानता लाने के उद्देश्य से महिलाओं को विभिन्न योजना व स्वामित्व पर कार्य
- जलवायु न्याय पर कार्य –जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना , मोटे अनाज
- रूढ़िगत प्रथाओं को दूर करते हुए महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए कार्य
- महिलाओं में नेत्रित्व क्षमता का विकास करना

महिला और जमीन से रिश्ता पर महिलाओं की क्षमतावर्धन कार्य

इस पुरुष प्रधान समाज में भूमि को हमेशा से पुरुषों की नजरिये से देखते हैं लेकिन जमीन पर कार्य करने में महिलाएँ कभी पीछे नहीं रही हैं । खेती कार्यों में सभी कार्य महिलाओं के द्वारा सामान रूप से कार्य की जाती है लेकिन जमीन पर नाम पुरुषों का होता है । इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए नजरिये में बदलाव के लिए महिलाओं की क्षमता वर्धन किया गया । जब जमीन की बिक्री भी होती है तो पुरुषों के द्वारा ही जमीन की बिक्री जी गयी है क्योंकि महिलाओं का नाम नहीं होने से उनकी पूछ परख भी नहीं होती है । महिला हमेशा से भूमि /जमीन से रिश्ता रखता है और उनके साथ

आत्मीय रूप से जुड़ाव रहता है ।

एक अध्ययन से भी जानकारी प्राप्त हुआ कि महिलाओं के नाम पर 10% ही जमीन है बाकि 90% पुरुषों के नाम है , जब अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2005 नियम 2006 व 2007 संसोधित 2012 , इसके अंतर्गत भी वर्षों से कबिज जमीन का अधिकार पत्र पुरुषों के नाम पर ही दावा कर अधिकार पत्र प्रदान किया गया । यह अनुभव किया गया है कि समाज में समानता के लिए महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के नाम पर सामान रूप से भूमि हो । इसके लिए समाज में महिलाओं एवं पुरुषों के साथ सौंच

में बदलाव लाने के लिए कार्य किया जा रहा है ।

संस्थान इस दो वर्षों में एक सौंच में बदलाव लाया गया तथा इसके बाद वनाधिकार के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर दावा फार्म भी भरा जा रहा है । समाज को भी सुरुवात में महिलाओं के नाम पर जमीन चुनौती था क्योंकि जमीन को हमेशा से पुरुषों से ही जोड़कर देखा गया है । एक सौंच भी बना हुआ जिसे तोड़ने की कोशिस किया गया ।

महिलाओं को जमीन से रिश्ता पर अलग अलग प्रशिक्षण व कार्यशाला के माध्यम से सक्षम बनाने का प्रयास किया गया जिसमे दस्तावेज के बारे में जानकारी, विभाग के बारे

में जानकारी देना , जिससे उनकी हौसला पड़ता गया , इस कार्य में पुरुषों का भी बहुत ही योगदान रहा है । रिपोर्ट के लिखे जाने तक तीन वर्षों में 30 गाँव के 769 महिलाओं ने अपने नाम पर दावा फार्म

जमा कर चुके हैं जिससे उनकी जो जमीन की साथ रिश्ता है वह स्वामित्व में सुनिश्चित हो सके ।

पुरे प्रक्रिया से महिलाओं के हौसले बुलंद हुए तथा महिलाओं को भूमि पर अधिकार पत्र के लिए

कार्यवाही करते हुए कुल 158 भूमि स्वामित्व प्राप्त हुए हैं जिसमें वे आगे जैविक खेती की और अग्रसर होने लगे हैं ।

स्थानीय समितियों को संवेदनशील बनाने का कार्य

भूमि स्वामित्व पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर भूमि स्वामित्व के लिए स्थानीय समिति जैसे **FRC (Forest Right Commitee)** , **PRI (Pancayat Raj institute)** को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनके साथ प्रशिक्षण / कार्यशाला आयोजित किया गया । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी अधिनियम के अंतर्गत **FRC** व **PRI** सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है , जिसके कारण उन्हें इस पुरुषप्रधान समाज में महिलाओं के प्रति जमीन को जोड़ने के लिए सोंच में परिवर्तन किया गया । जिससे वे सभी महिलाओं को जमीन / भूमि स्वामित्व के लिए सपोर्ट किये । समाज में समानता लाने के उद्देश्य के लिए महिलाओं के नाम पर भी भूमि स्वामित्व अधिक जरूरी है ताकि पुरुषों एवं महिलाओं में संपत्ति पर समान अधिकार सुनिश्चित हो सके । इसके लिए जो स्थानीय समिति है उसे भी संवेदनशील होकर कार्य करने के लिए उनके साथ बार बार बैठक कार्यशाला , प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी प्रदान किया गया जिससे महिलाओं को भूमि स्वामित्व पर सहयोग प्रदान हुआ ।

विधिक शिविर

महिलाओं के लिए विधिक शिविर का आयोजन दिनांक 23 जून 2024 को आक्सन हाल गरियाबंद में किया गया जिसमें कुल 210 प्रतिभागी ने भाग लिए । इस शिविर में विशेष सत्र जिला

न्याय
लय
गरिया
बंद
से श्री
यशवं
त
वासनि
कर
जी ,



अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद से श्रीमती तेजेश्वरी देवी देवांगन जी, एवं श्री प्रशांत

कुमार देवांगन जी विशेष (पोक्सो) सव्यवहार न्यायालय गरियाबंद उपस्थित होकर महिलाओ एवं बच्चो से सम्बंधित कानून के बारे में जानकारी दिया । उपस्थित न्यायधिशो के द्वारा बच्चो के पाक्सो कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया तथा माता पिता को बच्चो के जानकारी देने के लिए कहा गया जिससे बच्चो में समझ बन सके । महिलाओ को भूमि में अधिकार के बारे में जानकारी दिया जिसके अंतर्गत पिता के भूमि पर सामान अधिकार के लिए संपत्ति के अधिकार कानून के बारे जानकारी दिया तथा सभी महिलाओ को आह्वान भी किया कि महिलाओ को समानता का अधिकार है जिसके लिए आगे आना होगा , जागरूक होना होगा तभी महिलाओ को कानूनी जानकारी बहुत जरुरी है , अपने आत्मसम्मान के लिए , हक के लिए तथा समाज में समानता के लिए । आदिवासी विभाग से आये साथियों के द्वारा भी वनाधिकार में महिलाओ को भूमि अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया ।

PVTG महिलाओ की सोंच में बदलाव हेतु एक्सपोजर विजिट

दिनांक 28 से 30 जून 2024 को पुरी उड़ीसा में कुल 32 महिलाओ को चिलका में महिलाओ के द्वारा आजीविका के मुद्दे पर कार्य कर रहे थे उस पर समझ विकसित करने के लिए फिल्ड भ्रमण कराया गया । PVTG भुंजिया समुदाय के महिलाओ को बाहर का खाना वर्जित है तथा कई सारे प्रथाओ से बंधे हुए है जो उनकी अधिकारों का हनन करती है, महिलाओ को एक अलग माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य भी यह एक्सपोजर सार्थक रहा । वे सभी एक नए माहौल में आकर अपने को फ्रीडम महसूस किये तथा वे महिलाये एक लीडरशिप के रूप में आगे भी आये, एस एक्सपोजर के माध्यम से उनकी सोंच में बदलाव लाने का प्रयास किया गया जिससे वे समाज में सम्मान व समानता के लिए एक कदम आगे बढ़ सके ।

घरेलु महिला हिंसा में कमी लाने कार्य :-

संस्थान विभाग के साथ 2014 से महिला हिंसा में कमी लाने पर कार्य करती आ रही है तथा 181 का प्रचार -प्रसार भी किया गया । संस्थान सखी वन स्टाफ सेंटर के सञ्चालन कमिटी में भी है जो की महिला घरेलु हिंसा के केसेस को सीधे अब सखी सेंटर रेफर कर दी जाती है जिससे महिलाओ को न्याय प्राप्त हो तथा जिला में महिलाओ में हिंसा में कमी आये । विभिन्न कार्यक्रम से माध्यम से भी महिलाओ को महिला हिंसा कानून के बारे में जानकारी दी जाती है तथ गाँव स्तर पर महिलाओ की न्याय समिति के दीदियो के द्वारा इस महिला घरेलु हिंसा के केसेस में न्याय करने के जाती है ।

प्रक्रिया से महिलाये अपनी आवाज / समस्या को अपने मंच में रख पा रहे है और SMM के सहयोग से वे मिलकर समस्याओं को हल भी कर रहे है । महिलाये अपने अपने कलस्टर का नेत्रित्व करते हुए जो कलस्टर में समस्या आते है उस पर विभाग के साथ बातचीत करते समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे है ।

महिलाओ की नेत्रित्व क्षमता विकास के लिए कार्यक्रम -

महिलाओ में नेत्रित्व विकास के लिए अलग अलग विषय पर प्रशिक्षण आयोजित कर क्षमता विकास का कार्य किया गया जिससे महिलाओ में एक लीडर शिप की भूमिका बढे ।

1. Legal Training

2. Training on Woman domestice violece Act

3. Training on PESA Act

4. Annual Gadring of Mahila m


5. Exposer visit with PVTG Woman

राष्ट्रीय महिला किसान दिवस

दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को स्थान कोदोपाली गरियाबंद में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया जिसमे महिलाये अपनी अपनी विचार रखे तथा महिलाओ के लिए एक अलग पहचान को आगे बढाने के लिए आह्वान किये । महिला एवं भूमि से रिश्ता को लेकर महिलायों के द्वारा भूमि पर दावा किया जा रहा है जो वर्षों से काबिज कर परिवार का जीवकोपार्जन कर रहे है । लेकिन महिलायों के नाम पर जमीन नहीं है फिर भी वे जमीन/ भूमि के साथ उनकी रिश्ता वर्षों से है , इसे लेकर जिला स्तर पर महिलायों के लिए भूमि पर आने वाले दिक्कतों के हल के लिए व सहयोग करने के लिए जिला स्तर पर महिला किसान फोरम का गठन किया गया इस फोरम के माध्यम से महिलाओ को भूमि स्वामित्व के लिए कार्य की जा रही है ।

स्कूल /कालेज में सेसन के माध्यम से यूथ का समझ विकसित करना -

स्कूल एवं कालेज यूथ के लिए वह पड़ाव है जिसमें वह सीखते हैं और उन्हीं दिशा में अग्रसर होते भी हैं , समझ नहीं होने से विभिन्न दिशा में चले जाते हैं । इस उम्र के यूथ का सोंच हमेशा खोजने के प्रक्रिया में भी होते हैं । 10 स्कूल /कालेज में कुल 1749 यूथ तक पहुँच बनाया गया जिसमें पोस्को एक्ट, बाल विवाह कानून, सायबर अपराध, महिला घरेलु हिंसा कानून, बाल अधिकार व स्किल विकास के बारे में प्रोजेक्टर से फिल्म व अन्य पोस्टर पाम्पलेट के माध्यम से समझ बनाया गया और समाज में बदलाव की दिशा में प्रेरित किया गया जिससे नये समाज की निर्माण हो सके ।



जलवायु न्याय की दृष्टिकोण से कार्य

महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु जोड़ना :-

मोटे अनाज (कोदो , माडिया व अन्य दलहन) तथा सब्जी की खेती स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है इसके साथ जलवायु के द्रिस्टिकोण से भी बहुत अनिवार्य है । महिलाओं को इस पर आजीविका के लिए अलग अलग माध्यम से समझ विकसित करते हुए प्रेरित किया जा रहा है । मोटे अनाज की खेती मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान समय में कम जलवायु परिवर्तन के कारण खेती भी एक रिस्क हो गया है , इस परिस्थिति से निपटने के लिए मोटे अनाज की खेती कई मायने में फायदामंद है । महिलाएँ हमेशा से खेती से जुड़ी हुयी हैं और उन्हें मोटे अनाज की खेती से आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया ।

NRLM के साथ आजीविका विकल्प पर नेटवर्किंग मीटिंग -

दिनांक 29/08 /2024 तथा 15/06/ 2024 को मदनपुर व होटल सिटी रेजेन्सी गरियाबंद में महिलाओं की आजीविका मुद्दे पर मीटिंग रखा गया जिसमें NRLM से उद्दिष्ट साथी -जुब्रियल जान के द्वारा आजीविका के बारे में बताया । आजीविका के दो रूपों के बारे में बताया जिसमें कृषि आधारित तथा गैर कृषि आधारित कृषि आधारित के अंतर्गत कोदो कुटकी ,माडिया पर खेती करने अधिक जोर दिया , इसकी बाजार में अधिक मांग है दूसरा गैर कृषि के अंतर्गत महिला समूह अलग अलग रूपों में कार्य कर रही है लेकिन सबसे पहले हमें बाजार के वेलु एडिसन पर ध्यान देना चाहिए । कोई भी व्यापार शुरू करने उसके पहले हमें एक प्लान बनाकर चलाना चाहिए जिसमें विज्ञापन भी बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम अपनी सामान का प्रचार -प्रसार नहीं करेंगे तो बिक्री में कमी हो जाएगी इसलिए एक ब्रांड के साथ अच्छे क्वालिटी के साथ कार्य करने की जरूरत होती है । संगवारी महिला मंच के साथ मिलकर कार्य करने हेतु जानकारी दिया गया । प्रथम वह जिमीकंद के आजीविका पर सुझाव दिया तथा दुसर मोटे अनाज की खेती के माध्यम से आजीविका को सुनिश्चित की जा सकती है ।

जैविक खेती के लिए महिलाओं का समझ विकसित करना

जलवायु न्याय के दृष्टीकोण से महिलाओं को जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए संस्थान के द्वारा जागरूकता लाया गया । महिलाये खेती से जुडी हुई है और वर्तमान समय में अत्यधिक रासायनिक दवा एवं खाद के उपयोग से मृदा की स्वास्थ्य में कुप्रभाव पड़ रहे है । महंगे रसायन का उपयोग कर खेती में जो लाभान्वित होनी चाहिए वह नहीं हो पा रहे है इस पर महिलाओं को प्राप्त भूमि स्वामित्व पर जैविक /प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया । विभाग के साथ समन्वय बनाकर खेती में जैविक दवा



epaper.haribhoomi.com
Raipur Ratan Bhoomi - 11 Apr 2025 - Page 4

प्रशिक्षण : जैविक खेती व प्राकृतिक खेती पर क्षमता विकास प्रशिक्षण में 40 महिला किसान हुई शामिल

जैविक एवं प्राकृतिक में रासायनिक खेती से आती है कम लागत, अनेकों लाभ

हरिभूमि ब्लूज ४४ हरिखंड

महिला किसान मुखियाओं का एकदिवसीय जैविक खेती/प्राकृतिक खेती पर क्षमता विकास प्रशिक्षण लोक आस्था सेवा संस्थान एवं तकनीकी सहयोग कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद के द्वारा ग्रामिणों के सहयोग से हरिखंड गांधी कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद में आयोजित किया गया। जिसमें गुरु और गरियाबंद जिलों की 40 महिला किसान शामिल हुईं। प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए डॉ. मनीष चौरसिया वरिष्ठ वैज्ञानिक और संस्था प्रमुख लता नेताम ने सभी महिला किसान का स्वागत करते हुए मनोप ने बताया कि जैविक/ प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती से लागत कम आता है और इसके लाभ बहुत हैं। रासायनिक खेती से कई प्रकार की बीमारी और मिट्टी प्रदूषण नहीं होता है। प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में बताया। इसके

जैविक पद्धति खेती से बीमारी से बच सकते हैं

डॉक्टर शर्मा ने बताया कि किनमतुन आग फैले फंगस कर सकते हैं इनमें बीज का उपचार करना और नारंगी लकड़वा विधि के बारे में जानकारी देकर इनके बच काया कि खास की फलन के लिए वायोटेशन फास्फोरस, पोटैश की उपलब्ध होना है इनके जलवायु पर आग फैले जावे के जोड़ जोड़ कर और बेजल गुड के उपयोग से जैविक खाद तैयार करके उपयोग कर सकते हैं जैसे जीवजंतु प्राकृतिकपद्धति को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं मिट्टी की उपलब्ध रहती है और जैविक पद्धति से खेती से होने बहुत फल बीमारी से भी बचाव करती है बीजों को उपलब्ध कराने की पद्धति के लिए बीमारी से बचाव करती है जो कि पहले बीजों या इनके बाद बीजों से जीवजंतु और बीजजंतु इनके की विधि प्रयोगागार के सहज से व बाजार। जिसमें जीव जंतु में 10 विरलेखन जोड़ खाद 10 लीटर जीवजंतु गुड 2 किलोखान और बेजल की उपलब्ध से इसे हम तैयार कर सकते हैं और बीजों खाद को जलवायु उपयोग कर सकते हैं जैसे फल से जीवजंतु के रूप में किनमतुन का उपयोग कर सकते हैं। प्रशिक्षण में डॉक्टर ने जैविक/प्राकृतिक कर सकते हैं विधि बताया तथा तथा सभी को प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित होने के लिए सभी प्रशिक्षणों से उपलब्ध की गई।

बाद डॉक्टर शर्मा अग्रहम कृषि वैज्ञानिक ने जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1960 की दौरे में हमारा देश खाद्यान्न की संकट की स्थिति में था उसके बाद हरित क्रांति का

युग आया जिसमें पैदावार के बढ़ावा के लिए रासायनिक खेती की शुरुआत हुई लेकिन आज के दौर में हम खाद्यान्न संकट से बाहर आ चुके हैं और फिर से एक बार प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर लौट

रहे हैं प्राकृतिक खेती का आशय है कि इसमें हम किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसे देसी खेती भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन पद्धति है।

एवं जैविक खाद निर्माण कर स्वं उपयोग करना तथा उत्पादन की बाजार तक पहुँच बनाने हेतु विभाग के साथ भी बातचीत किया गया , जिस पर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जैविक/ प्राकृतिक विधि से खेती करने के लिए सहयोग करने के लिए सहमती दिए ।

वन अधिकार, दावा प्रक्रिया और कानूनी सहायता पर प्रशिक्षण

दिनांक 17 मार्च 2025 को स्थान नवागांव महासमुंद में वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन अधिकार के लिए वनाधिकार समिति को कानूनी जानकारी प्रदान किया गया । इस प्रशिक्षण में अलग अलग वक्ता द्वारा वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया और सामुदायिक अधिकार की प्रक्रिया के लिए आगे आकर पर्यावरण की संरक्षण किया जा सकता है । उसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज , ग्रामसभा की भूमिका, प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया ।

खेल के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को गतिविधि में जोड़ना -

गरियाबंद जिला के छुरा गरियाबंद ब्लाक में 4 खेल उत्सव का कार्यक्रम छुरा ब्लाक में देवरी व परसापानी में तथा गरियाबंद ब्लाक में कोदोपाली में किया गया , कोदोपाली जो भुजिया जनजाति की राजधानी भी कहा जाता है है । यह खेल समुदाय के लिए मनोरंजन के साथ साथ एक जागरूकता के रूप में अपनाया गया है , इस खेल के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को निकाला गया और समाज में व्याप्त कई रुढ़ियोवादी को उत्साह में आकर तोड़ा गया । महिलाओं एवं किशोरी के लिए एक बंधन के रूप में वर्षों से व्याप्त था । इस कबड्डी खेल को समाज मर्दानगी के रूप में देखते है , जब महिलाये इस खेल को साड़ी पहन कर खेलती है तो उस समय अलग ही ताकत महिलाओं में देखने को मिलते है । जब खेल के लिए मैदान में उतरती है तो सभी रिवाजो , परम्परयो को नजरंदाज करते हुए उनके पास सिर्फ खेल भावना आ जाती है , खेल एक अवसर भी प्रदान करती है , अपनी ताकत, आवाज को आगे लाने के लिए । इस खेल को देखकर पुरुष कभी शांत नहीं बैठते थे उसमे भी खेलने की भावना उत्पन्न होते थे

महिलाओं के मैच में ग्राम अमेटी प्रथम

महिलाओं को अवसर मिले तो समाज में बदलाव संभव

हरिगुप्ति वदूत गरियाबंद

जिले के ग्राम पंचायत लोहारी के कोदोपाली में पीएचएफ के सहयोग से लोक आस्था सेवा संस्थान और संगवारी महिला मंच के संयुक्त प्रयास से महिलाओं और किशोरियों के लिए खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन खास था, क्योंकि यह गरियाबंद ब्लॉक में महिला एवं किशोरियों का पहला क्रिकेट मैच था।

कार्यक्रम को शुरुआत संगवारी महिला मंच की मुखिया दादी और जनपद सदस्य वीरेंद्र ठाकुर ने की। क्रिकेट खेल के दौरान किशोरियों में ग्राम कोदोपाली को टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि दूसरा स्थान ग्राम लिटिपास की टीम को मिला। महिलाओं के मैच में ग्राम अमेटी ने पहला और ग्राम कोदोपाली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खास बात यह रही कि भुजिया समुदाय की महिलाओं ने पहली बार क्रिकेट खेला, जो उनके लिए बेहद नया कौशल था।

आत्मविश्वास के साथ खेल रही हैं महिलाएं

लोक आस्था सेवा संस्थान की प्रमुख लता वेताम ने अपने संबोधन में कहा कि अगर महिलाओं और किशोरियों को अवसर दिए जाएं, तो वे समाज में बहुत कुछ बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जैसे खेल, जिन्हें पहले पुरुष प्रभाव जाता था, अब महिलाएं भी आत्मविश्वास के साथ खेल रही हैं। यह समाज में समता और महिलाओं को अपने बदले की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम के समापन पर विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन में संतकरी महिला मंच की गणेशी वाई, बरुन वाई, नंदा, दीपदी, चवित्री और रमणिल वाई सहित लोक आस्था के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। समूहों ने इस अवसर को सराहा और महिलाओं और किशोरियों के इस प्रयास को प्रशंसित किया।

कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। लोहारी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि एवं पूर्व सरपंच मूलसिंह ठाकुर ने कहा कि यह आयोजन

महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है, और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। पीपछेड़ी थाना से प्रहलाद ठाकुर ने भी महिलाओं के लिए इस प्रयास को सराहना की। दांतबाव कला पंचायत के सचिव एसएल साहू ने लोक आस्था के इस प्रयास को महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अहम बताया।

और महिलाओं को खूब सपोर्ट करते जिससे महिलाओं एवं किशोरियों की हौसला भी बढ़ते गए । इस खेल के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को घर , समाज से निकाल कर **SMM** में जोड़ा गया । महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं की भय , डर को दूर करते हुए उनके नेत्रित्व को आगे लाना भी खेल एक अच्छा माध्यम बना, समाज के प्रत्येक वर्ग इस खेल के लिए प्रोत्साहित करते हैं , लेकिन आज भी एक चुनौती है जब महिलाओं को कबड्डी के खेल के लिए तैयार करना उन्हें मैदान तक उतारना खासकर भुजिया समुदाय की महिलाओं के लिए ।

PVTG समुदाय में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देना

PVTG (Primitive vulnerable Tribe Group) के अंतर्गत गरियाबंद जिला में कमार एवं भुजिया जनजाति समुदाय के लोग निवासरत है । यदि भुजिया जनजाति की बात करे तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 10603 है जो कि गरियाबंद जिले में 6973 लोग निवासरत है उसमे से महिला की जनसंख्या 3554 है उनकी परिवार संख्या गरियाबंद जिला में 1559 है । सबसे ज्यादा गरियाबंद ब्लॉक में भुजिया जनजाति निवासरत है । इस समुदाय में महिलाओं एवं किशोरियों के लिए कई सारे परम्पराए है , रीतिरिवाज है जिससे महिलाओं एवं किशोरियों के लिए बहुत सारे बंधने है । इस बन्धनों के कारण अन्य महिलाओं एवं किशोरियों की तरह खान-पान, पहनावा, रहन-सहन नहीं कर पाते है । ऐसे महिलाओं को आगे लाने , समाज में महिलाओं की भूमिका , भागीदारी में बढ़ोतरी किया जा रहा है ।


PVTG समुदाय के यूथ को टेक्नोलाजी व पेपरलेस सर्वे कार्य

वर्ष 2024-25 में यूथ को kobocollect टूल के माध्यम से सर्वे कराया गया , खासकर भुजिया जनजाति के यूथ को जो कि वे अपने एक क्लस्टर में प्रथम शुरुवात किया , इस सर्वे से यूथ को बहुत ही रोचक लगा , नया नया टेक्नो के बारे में सिखने को मिला । स्व अपने ही समाज के जनजाति की जानकारी इकठ्ठा करना शुरू किये तो भुजिया विकास प्राधिकरण व अन्य विभाग के द्वारा शिविर लगाना शुरू किये और समस्याओं की समाधान करने लगे , इससे समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित हुआ और छोटे छोटे समस्याओं को शिविर के माध्यम से निराकरण भी हुआ । इस यूथ लोगो को ग्रामीण स्तर पर समाज के सोंच में बदलाव की दिशा में कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है ।

बच्चों के मुद्दे पर कार्य

आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के गाँव में बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए 20 लईकाघर का सञ्चालन किया जा रहा है । इस लईका घर में लईका घर देखभाल कार्यकर्ता के माध्यम से

प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति करके बच्चों को मेनू के आधार पर खाद्य दिया जाता है , प्रतिमाह बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है , स्टाफ के माध्यम से होम विजिट करके माता पिता को स्वास्थ्य , स्वच्छता के बारे में समझ विकसित किया जाता है । अतिगंभीर कुपोषित बच्चों को NRC रिफर भी किया जाता है । यह मार्च 2025 की स्थिति में 12 लईका घर की स्थिति था जिसमें कुल 177 बच्चे भर्ती हुए थे उसमें से स्थिति को दिखाया जा रहा है 50% से कम बच्चे ही सामान्य की स्थिति में हैं बाकि ज्यादा बच्चे कुपोषण की क्षणी में हैं , जिसके लिए लईका घर का सञ्चालन किया जा रहा है ।



लईका घर के लिए देखभाल कार्यकर्ता का चयन कर प्रशिक्षित कर 20 केंद्र का सञ्चालन

धमतरी जिला के नगरी ब्लाक के 20 लईका घर केंद्र सञ्चालन के लिए सर्वप्रथम देखभाल कार्यकर्ता का समुदाय के सहमती से प्रत्येक लईका घर में 2 दीदियों का चयन के लिए



आवेदन आमंत्रित करना तथा समुदाय और संस्थान के द्वारा सर्वसहमति से चयन किया गया तत्पश्चात 40 देखभालकार्यकर्ता का प्रशिक्षण दिनांक 26 से 29 नवम्बर

2024 तक रखा गया जिसमें 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के पोषण के लिए भोजन बनाने , स्वच्छता , बच्चों की देखरेक , स्वास्थ्य , बच्चों के अनुकूल माहौल , बच्चों की सुरक्षा विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया । सभी 20 केंद्र के चयन हेतु सामुदायिक बैठक कर समुदाय

की सहयोग से फायनल किया गया जिसमें 10 सरकारी मकान एवं 10 किराये के मकान पर संचालित है। लईका घर भवन के लिए समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधिओं की भूमिका अधिक रही, उनके सहयोग से चयन किया गया। सभी 20 केंद्र में प्रशिक्षित देखभाल कार्यकर्ता के माध्यम से केंद्र का सञ्चालन किया जा रहा है जिसमें बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा व विकास के लिए कार्य की जा रही है।

कार्यकर्ता क्षमता विकास प्रशिक्षण

संस्थान के सभी स्टाफ का प्रतिमाह बैठक किया जाता है जिसमें अलग अलग मुद्दों पर क्षमता बढ़ाने के कार्य किया जाता है। जिसमें महिला अधिकार, भूमि अधिकार कानून, पाक्सो एक्ट, बाल अधिकार, सायबर अपराध, मनरेगा कानून, पेशा कानून, जेंडर समानता, आजीविका के मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, सरकारी विकास योजनाओं तथा परियोजनागत मुद्दों पर क्षमता बढ़ाया गया। इसके साथ ही माह में किये कार्यों की समीक्षा की जाती है और जो कार्यों में चुनौती आ रहे हैं उसे कैसे निपटा जाये उसके लिए रणनीतिक योजना बनाकर कार्य किया जाता है।

नेटवर्किंग मीटिंग

अन्य संस्थायों के साथ नेटवर्किंग मीटिंग -

जिला स्तर के अन्य संस्थायों के साथ महिला और भूमि की रिश्ता को लेकर 2 बार मीटिंग किया गया जिसमें महिला और भूमि की कांसेप्ट पर समझ विकसित किया गया। इस मीटिंग में जिला स्तर के 4 संस्थायों ने भाग लिया। सभी संस्थायों ने अपनी अपनी कार्यों के बारे में बताया फिर लोक आस्था सेवा संस्थान द्वारा महिला भूमि स्वामित्व पर एक समानांतर समझ बनाया गया कि यदि हम भूमि/ जमीन के मुद्दों पर कार्य कर ही रहे तो क्यों हम महिला को भूमि के साथ जोड़कर कार्य की जाये जिससे समाज में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सके तथा जो घर परिवार में महिलाओं के साथ हिंसा हो रहे हैं उसे भी दूर किया जा सकता है।

विभागीय इंटरफेस मीटिंग -

लोक आस्था सेवा संस्थान जिला स्तर पर विभिन्न कमिटी में शामिल है और विभिन्न कमिटी द्वारा होने वाली मीटिंग के माध्यम से विभाग के साथ मुद्दों पर चर्चा करना तथा ग्रामीण स्तर की समस्याओं को चिन्हांकित कर मुद्दों की निराकरण के लिए विभाग के साथ बातचीत करना और समस्याओं पर हल करवाना। इस मीटिंग के माध्यम से योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुँच बनाना, समुदाय की डर, झिझक को दूर करना और उन्हें लीडरशिप की भूमिका में लाना।

विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु सहयोग करना

No.	Name of Scheme	No. of Beneficiary
1	New Ration Card (PDS)	123
2	Name add in Ration Card (PDS)	71
3	Starting Pension amount Recieved after application submitted to Panchayat	19
4	Aadhar Update	13
5	PM Kisan Nidhi KYC updated	54
6	Registered under AAYusman card	81
7	Mahtari vandan yojna	512
8	Other	222

संस्था में बोर्ड सदस्य लता नेताम जो कि संस्थान की मुख्याकार्यकारी /सचिव के पद पर रहकर पूरा समय कार्य कर रही है जिसका संस्थान से परियोजनगत कार्यों से मानदेय राशि प्राप्त करती है जिसे आयकर रिटर्न में 10B में जानकारी भी दी जाती है ।

जिला स्तर पर बने विभिन्न कमेटियों में लोक आस्था सेवा संस्थान के साथियों को शामिल किया गया है

1. सखी वन स्टाफ सेंटर (महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद) की संचालन कमीटी जिला गरियाबंद – सदस्य
2. अध्यक्ष – (लता नेताम –लोक आस्था सेवा संस्थान) जिला स्तरीय कार्य स्थल पर सेक्सुअल हार्मोन कमीटी जिला गरियाबंद
3. जेल निरीक्षण टीम , किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जिला गरियाबंद

FINANCIAL STATEMENT

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN - PARAGAON , POST - MARODA , DIST. - GARIYABAND
CONSOLIDATED RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
For the Period 1 April 24 to 31 March 2025

Receipt	Amount	Payment	Amount
Opening Balance		Expenses Program& Admin - FC	5065798.77
Cash & Bank Balance -FC	1453710.46	Expenses Program & Admin- LC	6867496.66
Cash & Bank Balance -LC	343966.45	Loan & Advance Payment -LC	63125.00
Grant & Donation Received -FC	5330452.00		
Grant & Donation Received -LC	7,442,639.00	Closing Balance	
Tax Refund	3,110.00	Cash & Bank Balance -FC	1779028.69
Bank Interest -FC	48,245.00	Cash & Bank Balance -LC	871751.79
Bank Interest-LC	12,658.00		
Cheque return	12,420.00		
	14,647,200.91		14,647,200.91

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR:LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
GARIYABAND


FOR:JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants


PRESIDENT

PLACE:RAIPUR
Date: 10/06/2025




SECRETARY



(MP JAIN)
Partner
M.No.054958
UDIN-25054958NUICK5681

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN - PARAGAON , POST - MARODA , DIST. - GARIYABAND
CONSOLIDATED INCOME&EXPENDITURE ACCOUNT
For the Period 1 April 24 to 31 March 2025

EXPENDITURE	Amount	INCOME	Amount
Expenditure- FC	4982048.77	Grant & Donation Received -FC	5342872.00
Expenditure- LC	5883249.66	Grant & Donation Received -LC	28,378.00
Depreciation	69,985.00	Bank Interest -FC	48,245.00
		Bank Interest-LC	12,658.00
Excess of Income Over Expenditure	1196869.57	Grant Received	6,700,000.00
	12132153.00		12,132,153.00

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR:LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
GARIYABAND


FOR:JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants


PRESIDENT

PLACE:RAIPUR
Date: 10/06/2025




SECRETARY



(MP JAIN)
Partner
M.No.054958
UDIN-25054958NUICK5681

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN, GARIYABAND (C.G.)
CONSOLIDATED BALANCE SHEET as on 31-03-2025

LIABILITIES	Amount	ASSETS	Amount
<u>CORPUS FUND</u>	39,000.00	<u>FIXED ASSETS</u>	
		LOCAL ACCOUNT	286,088.00
		FC A/C	96,842.00
<u>GENERAL FUND</u>		<u>CURRENT ASSETS</u>	
Opening Balance	383183.45	Project Receivable	574,632.00
Add: Excess of Expenditure over Income	807781.34	TDS Recieble	9,000.00
	1,190,964.79	Program Advance	63,125.00
<u>F.C.ACCOUNT</u>		<u>Closing Balance</u>	
Opening Balance	1486782.46	Cash & Bank Balance -FC	1,779,028.69
Add: Excess of Income over Expenditure	389088.23	Cash & Bank Balance -LC	871,751.79
	1,875,870.69		
<u>Project Paybal</u>	574,632.00		
TOTAL RUPEES	3,680,467.48	TOTAL RUPEES	3,680,467.48


AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

**FOR: LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
GARIYABAND**

FOR: JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants


PRESIDENT

PLACE: RAIPUR
Date: 10/06/2025



(MP JAIN)
Partner
M.No.054958
UDIN-25054958NUICK5681



President /Secretary
Lok Astha Sewa Sansth

